



2026:AHC:28379

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4981/2026

राम पाल सिंह

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: धर्म जीत सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे ग्राम पुथा, तहसील अजीतमाल, जिला औरैया में स्थित गाटा संख्या 223ख के गाटा संख्या 227 का सीमांकन करें।
2. आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि 30प्र0 भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत इस संबंध में पहले ही एक पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है और वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है।
3. इस तथ्य को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है।
4. इस दृष्टिकोण से, न्यायालय का मत है कि चूंकि 30प्र0 भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत प्रक्रिया पहले ही प्रदान की जा चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।
5. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"